



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना सिंघावली अहीर

दिनांक -22.03.2025

थाना सिंघावली अहीर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 102/25 धारा 103(1) बीएनएस का सफल अनावरण करते हुए 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

### संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 21.03.2025 को थाना सिंघावली अहीर पर वादिया ने लिखित तहरीर दी कि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा उसके पति ईश्वर पुत्र हरदम निवाली बसौद की गला रेतकर हत्या कर दी है । जिसका शव ग्राम गौसपुर के जंगल में पड़ा मिला है । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना सिंघावली अहीर पर मु0अ0सं0 102/25 धारा 103(1) बीएनएस पंजीकृत किया गया एवं विवेचनात्मक कार्यवाही प्रारंभ की गयी ।



### कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 102/25 धारा 103(1) बीएनएस का सफल अनावरण करते हुए 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है ।

उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना सिंघावली अहीर पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

## गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

वेदप्रकाश उर्फ वेदू पुत्र स्व0 ईश्वर निवासी ग्राम बसौद थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।

## गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-थानाध्यक्ष श्री सोनवीर सिंह सोलंकी थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
- 2-व0उ0नि0 श्री मुकेश कुमार थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
- 3-उ0नि0 श्री आरिफ अली थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
- 4-का0 399 राहुल चौहान थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
- 5-का0 395 ललित रौसा थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 22.03.2025

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 106/2025 धारा 191(2)/191(3) /190/195(1)/125/109 बीएनएस व 7 सीएल एक्ट में वांछित 04 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

## संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 22-02-2025 को थाना कोतवाली बागपत पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि प्रथम पक्ष 1-वसीम पुत्र भूरा 2. कालू पुत्र सीनू



3.समीर पुत्र जमील 4.जीशान पुत्र अहसान 5.अहसान उर्फ बबूआ पुत्र हबीबुर्रहमान 6.सलमान पुत्र हबीबुर्रहमान 7.रिहान पुत्र फरमान 8.फरमान पुत्र सीनू 9.सलमान पुत्र फरमान 10.भूरा पुत्र नत्थू 11.आसिफ पुत्र मौहम्मद 12.दिलशाद पुत्र कल्लू समस्त निवासीगण मोहल्ला केतीपूरा कस्बा बागपत थाना कोतावाली बागपत जनपद

बागपत व द्वितीय पक्ष के 1. इंतजार पुत्र हाजी रहमान 2. राजा पुत्र इन्तजार 3. फैजान पुत्र मानू 4. आदिल पुत्र उस्मान 5. नफीस पुत्र बाबू 6. समीर पुत्र अब्दुल सलाम 7. चाँद मियाँ 8. दानिश 9. नईम 10. फईम पुत्रगण फानू 11. कासिम पुत्र जिकरू 12. इमरान उर्फ बोना पुत्र मुमत्याज 13. आदिल पुत्र जहीर 14. समीर पुत्र अब्दुल सलाम 15. आसिफ पुत्र बाबू 16. नसीम उर्फ टुग्गू पुत्र हाजी सरीफ समस्त निवासीगण मोहल्ला केतीपुरा कस्बा बागपत थाना कोतावाली बागपत जनपद बागपत एवं 10-15 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा एक-दूसरे पक्ष के व्यक्तियों के साथ लाठी-डण्डे, ईंट-पत्थर एक-दूसरे के ऊपर बरसाकर झगड़ा कर रहे हैं। पुलिस पार्टी द्वारा समझाने का प्रयास किया गया है लेकिन वह नहीं माने तथा पुलिस पार्टी पर हमला कर दिया। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतावाली बागपत पर मु0अ0सं0 106/25 धारा 191(2)/191(3)/190/195(1)/125/109 बीएनएस व 7 सीएल एक्ट पंजीकृत किया गया है।

### कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतावाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 0106/2025 धारा 191(2)/191(3)/190/195(1)/125/109 बीएनएस व 7 सी0एल0 एक्ट में वांछित 04 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नोट- उपरोक्त अभियोग में थाना कोतावाली बागपत पुलिस द्वारा पूर्व में 06 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

- 1-गुलफाम उर्फ कालू पुत्र सीनू निवासी कस्बा बागपत थाना कोतावाली बागपत जनपद बागपत।
- 2-आसिफ पुत्र मौहम्मद कस्बा बागपत थाना कोतावाली बागपत जनपद बागपत।
- 3-दिलशाद पुत्र कल्लू कस्बा बागपत थाना कोतावाली बागपत जनपद बागपत।
- 4-समीर पुत्र जमील कस्बा बागपत थाना कोतावाली बागपत जनपद बागपत।

### गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

- 1-निरीक्षक श्री वीरेन्द्र सिंह राणा थाना कोतावाली बागपत जनपद बागपत ।
- 2-उ०नि० श्री विकास कुमार चौहान थाना कोतावाली बागपत जनपद बागपत ।
- 3-है०का० 214 उमेश कुमार थाना कोतावाली बागपत जनपद बागपत ।
- 4-है०का० 494 राहुल कुमार थाना कोतावाली बागपत जनपद बागपत ।
- 5-का० 369 विशाल पंवार थाना कोतावाली बागपत जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत  
थाना बालैनी

दिनांक 22.03.2025

थाना बालैनी पुलिस ने थाने के मु०अ०सं० 40/25 धारा 76 बीएनएस व 9(M)/10 पोक्सो एक्ट से सम्बन्धित 01 बाल अपचारी के विरुद्ध की कार्यवाही ।

### कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बालैनी पुलिस द्वारा थाने के मु०अ०सं० 40/25 धारा 76 बीएनएस व 9m/10 पोक्सो एक्ट से सम्बन्धित बाल अपचारी के विरुद्ध कार्यवाही की गयी है एवं अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

### कार्यवाही करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ०नि० श्री नन्दकिशोर राजपूत थाना बालैनी जनपद बागपत ।
- 2-म०उ०नि० आरती थाना बालैनी जनपद बागपत ।



प्रेस नोट

थाना बडौत

दिनांक 22.03.2025

थाना बडौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 128/25 धारा 61(2)/316(5) बीएनएस में प्रकाश में आये 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसकी निशादेही पर गबन किए गए रूपयों में से 63,600 रूपये नगद, एक मोबाइल फोन रेडमी तथा एक पर्स जिसमें अभियुक्त का आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस व एटीएम व एक वोटर कार्ड बरामद ।

### संक्षिप्त विवरण-

दिनांक

04.03.2025 को  
वादी श्री योगेन्द्र  
सिंह पुत्र धर्मवीर  
सिंह हाल प्रबंधक  
सीएमएस मेरठ  
निवासी तेजबिहार  
रोहटा रोड थाना  
कंकरखेड़ा जनपद  
मेरठ ने लिखित



तहरीर दी कि अभियुक्तों 1-गौरव तोमर पुत्र कुलदीप सिंह निवासी ग्राम जोहड़ी थाना बिनौली जनपद बागपत, 2-रॉकी मलिक पुत्र राजपाल सिंह निवासी ग्राम हसनपुर थाना व जनपद शामली के द्वारा सीएमएस बैंको से कुल 5,26,12,700 रूपये कैश एटीएम में जमा कराने के लिये लिए गये किन्तु अभियुक्तों द्वारा रूपयों को एटीएम में जमा न कराकर गबन कर लिया गया । इस सम्बन्ध में थाना बडौत पर मु0अ0सं0 128/25 धारा 316(5) बीएनएस पंजीकृत किया गया ।

**नोट-** उक्त अभियोग में थाना बडौत पुलिस द्वारा 05 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है ।

### **कार्यवाही-**

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 128/25 धारा 316(5)/61(2) बीएनएस में प्रकाश में आये 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी निशादेही पर गबन किए गए रूपयों में से 63,600 रूपये नगद, एक मोबाइल फोन रेडमी तथा एक पर्स जिसमें अभियुक्त का आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस व एटीएम व एक वोटर कार्ड बरामद हुआ है ।

उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बडौत पर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

### **गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-**

गुड्डू उर्फ रोबिन पुत्र राजपाल निवासी ग्राम हसनपुर थाना व जनपद शामली ।

### **बरामदगी का विवरण-**

- निशादेही पर गबन किए गए रूपयों में से 63,600 रूपये नगद ।
- एक मोबाइल फोन रेडमी तथा एक पर्स जिसमें अभियुक्त का आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस व एटीएम व एक वोटर कार्ड ।

### **गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-**

- 1-प्रभारी निरीक्षक श्री मनोज कुमार चाहल थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 2-उ0नि0 श्री रामकुमार थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 3-उ0नि0 श्री अनिल कुमार मिश्रा थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 4-म0उ0नि0 नीतू सिंह थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 5-है0का0 438 कवित कुमार थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 6-है0का0 226 धर्मेन्द्र कुमार थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 7-है0का0 316 नागेन्द्र सिंह थाना बडौत जनपद बागपत।
- 8-का0 666 रघुवीर सिंह थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 9-का0 984 दीपक शर्मा थाना बडौत जनपद बागपत।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना रमाला

दिनाँक 22.03.2025

ऑपरेशन स्माईल अभियान के अन्तर्गत थाना रमाला पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 62/25 धारा 140(3) बीएनएस में गुमशुदा नाबालिग किशोर को अथक प्रयास के बाद 24 घण्टे में सकुशल बरामद किया ।

### कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में चलाये जा रहे ऑपरेशन स्माईल अभियान के अन्तर्गत थाना रमाला पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 62/25 धारा 140(3) बीएनएस में गुमशुदा नाबालिग किशोर को अथक प्रयास के बाद 24 घण्टे में सकुशल बरामद कर उसके परिजनों के सुपुर्द किया गया।



परिजनों द्वारा थाना रमाला पुलिस का आभार प्रकट करते हुए भूरि-भूरि प्रशंसा की गयी ।

### बरामद करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री मयंक प्रताप सिंह थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 2-कम्प्यूटर आपरेटर सुमित कुमार थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 3-का0 801 भूपेन्द्र कुमार थाना रमाला जनपद बागपत ।



प्रेस नोट

थाना बिनौली

दिनांक 22.03.2025

थाना बिनौली पुलिस ने चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से एक अवैध तमंचा .12 बोर मय एक जिन्दा कारतूस .12 बोर बरामद ।

### कार्यवाही-

बागपत बागपत द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं ऑपरेशन शस्त्र अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से एक अवैध तमंचा .12 बोर मय एक जिन्दा कारतूस .12 बोर बरामद हुआ है । उक्त



गिरफ्तारी एवं बरामदगी के आधार पर थाना बिनौली पर मु0अ0सं0 83/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

महत्वपूर्ण सूचना- बागपत पुलिस द्वारा सूचित किया जाता है कि कोई व्यक्ति अवैध अस्लाह का प्रयोग न करे तथा अवैध व लाईसेन्सी अस्लाह का प्रदर्शन न किया जाए । यदि कोई ऐसा प्रकरण संज्ञान में आता है तो उसके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जायेगी ।

### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

वीरपाल उर्फ बिट्टू पुत्र हरवीर सिंह निवासी ग्राम बिजवाडा थाना बिनौली जनपद बागपत ।



## बरामदगी विवरण-

- एक अवैध तमंचा .12 बोर मय एक जिन्दा कारतूस .12 बोर ।

## गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ०नि० श्री विकुल कुमार थाना बिनौली जनपद बागपत ।
- 2-है०का० 588 राधेश्याम थाना बिनौली जनपद बागपत ।
- 3-का० 1104 चक्रपाल थाना बिनौली जनपद बागपत ।



प्रेस नोट

थाना बिनौली

दिनांक-22.03.2025

थाना बिनौली पुलिस ने थाने के मु०अ०सं० 79/2025 धारा  
191(2)/191(3)/333/131/ 115(2)/109 बीएनएस में वांछित 01 अभियुक्त को  
किया गिरफ्तार ।

## संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 17.03.2025 को थाना बिनौली वादी श्री रिषिपाल सिंह पुत्र ब्रह्मदास ग्राम अंगदपुर जौहडी थाना बिनौली जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तों 1. तरसपाल 2. रोहित पुत्र तरसपाल 3. मोहित पुत्र तरसपाल 4. सचिन पुत्र



तरसपाल 5. आकाश पुत्र तरसपाल 6. सावन पुत्र तरसपाल निवासीगण ग्राम अंगदपुर जौहडी थाना बिनौली जनपद बागपत द्वारा उसके घर में घुसकर लाठी-डण्डों से उसके भतीजे राहुल पुत्र बालकिशन पर हमला कर दिया तथा उसके पुत्र सोनू के साथ लाठी डण्डों से मारपीट की जिससे वादी के पुत्र को गम्भीर चोटें आयीं

। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बिनौली मु0अ0सं0 79/25 धारा 191(2)/191(3)/333/131/115(2)/110 बीएनएस पंजीकृत किया गया है ।

**नोट-** उक्त अभियोग की विवेचना के दौरान प्राप्त साक्ष्य के आधार पर 110 बीएनएस का लोप कर धारा 109 बीएनएस की वृद्धि की गयी है ।

**कार्यवाही-**


बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वाँछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 79/25 धारा 191(2)/191(3)/333/131/115(2)/109 बीएनएस में वाँछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-**

रोहित पुत्र तरशपाल निवासी ग्राम अंगदपुर थाना बिनौली जनपद बागपत ।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-**

- 1-उ0नि0 श्री विकुल कुमार थाना बिनौली जनपद बागपत ।
- 2-उ0नि0 श्री हिमान्शु सागर थाना बिनौली जनपद बागपत ।
- 3-का0 1104 चक्रपाल सिंह थाना बिनौली जनपद बागपत ।





प्रेस नोट जनपद बागपत

दिनांक 22.03.2025

बागपत पुलिस ने 04 वारण्टी अभियुक्तों एवं 01 वारंटी अभियुक्ता को किया गिरफ्तार ।

**कार्यवाही-** बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम व वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत बागपत पुलिस द्वारा 04 वारण्टी अभियुक्तों एवं 01 वारंटी अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



**गिरफ्तार वारण्टी/अभियुक्तों का नाम व पता-**

1-गौरव पुत्र राजपाल निवासी ग्राम सिसाना थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

2-नवाब अली पुत्र नजीर अहमद निवासी ग्रामजौहडी थाना बिनौली जनपद बागपत।

3-मोहित पुत्र कंवरपाल निवासी ग्राम खट्टा प्रहलादपुर थाना चाँदीनगर जनपद बागपत।

4-दिनेश पुत्र मूला निवासी ग्राम बुढसैनी थाना बालैनी जनपद बागपत ।

5-01 महिला ।

## गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-थाना बालैनी पुलिस टीम ।
- 2-थाना चांदीनगर पुलिस टीम ।
- 3-थाना बिनौली पुलिस टीम ।
- 4-थाना कोतवाली बागपत ।

